

2020/00180


फर्द अहकाम

सुरजा बनाम गोपाल बगैँ

न्यायालय

केस संख्या

106/2020 इसा अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-------------|---------------------------|--|--|
| | 20/7/20 | <p>सुभाष दीक्षित वकील ने दावा पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है धारा 80 (2) CPC का मांग पत्र स्वीकार किया जाता है दावा दर्ज रजिस्टर्ड हो। गतिबद्धियों की तलबी जरिये - रजिस्टर्ड ए. डी. को जाकर पत्रावली दिनांक 30.07.20 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)</p> | |
| | 30/7/20 | <p>वकील वादी उपर। रजि. ए. डी. की रसीद पेश की गई। पत्रावली बंदतक तलबी दिनांक 20/8/20 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)</p> | |
| | 06/8/20 | <p>आज यह पत्रावली वादी। प्राथी के मांग पत्रावली का पेश किये जाने पर तलबी की गई। वादी प्राथी ने मांग पत्रावली को पेश का निवेदन किया है कि प्रमाण के लेफ्ट अदालत की भावना से राजीनामा लेना प्रमाण को झगने नहीं - चलाया - वाहना, पिडा काना - वाहना है। वादी की पहचान उसके अधिकृत की सुभाष दीक्षित ने की है। वादी को वाद विज्ञान की अनुमति दी जाती है। पत्रावली विज्ञान के आधार पर शपथ की जाती है। पत्रावली फेरल सुभाष देना कर नाम से कम है तथा दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)</p> | <p>47 सु 20/215 P.D. सुभाष दीक्षित</p>  |